न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़।

दावा बअनवान :– ओमप्रकाश बनाम सहीराम वगैरा।

...रण न. 197/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
03/01/20	पत्रावली पेश हुई। उतरवादी न. 1/2 की और से इकबाल दावा मय प्रतिदावा पेश हुआ वादी की और से प्रतिवादी न. 1/1 व 1/3, प्रतिवादी न. 2 का नाम तर्क करने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। उभयपक्ष ने 500/– रूपये के स्टाम्प पर राजीनामा पेश किया। उभयपक्ष ने प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर दावा में निर्णय एंव डिक्री का निवेदन किया तथा दोनो पक्षो ने राजीनामा के समस्त बिन्दुओ को स्वीकार किया राजीनामा के प्रथम पक्ष/वादी की पहचान उनके अधिवक्ता ने की तथा द्वितीय पक्षकार की पहचान एडवाकेट मूलाराम पुत्र रामरख के द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी न. 1/1 व 1/3 तथा प्रतिवादी न. 2 के नाम तर्क करने के प्रार्थना पत्र पर ऐतराज पेश ना होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इनका नाम वाद से तर्क किया गया। दावा की पत्रावली व उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया गया। वादी ने यह दावा पेशकर निवेदन किया है कि उसके नाम से चक 2 एलएम के पत्थर न. 2/31 के किला न. 10 ता 13, 18 ता 23 में 2.530 हैक. रकबा खाातेदारी है, इस रकबा को काश्त करने के लिये इसी चक के पत्थर न. 2/23 के किला न. 5 में पूर्वी पासा पर चल रहे खाला से चिपता 2 बिस्वा खातेदारी रकबा है, इस रकबा को वादी रास्ता के रूप में उपयोग कर रहा है तथा किला न. 5 से अपने पत्थर न. 2/31 के रकबा को पुली का उपयोग करके काश्त करता है। चुकिः पत्थर न. 2/23 क किला न. 5–6–15 का रकबा पहले मृतक सहीराम (प्रतिवादी न. 1) के नाम से था। प्रतिवादी न. 1 फौत हो जाने के पश्चात् यह रकबा अब प्रतिवादी न. 1/2 के नाम वसीयत के आधार पर दर्ज हो गया है। प्रतिवादी न. 1/2 के नाम से इस चक 2 एलएम के पत्थर न. 2/23 के किला न. 5–6–15 में पूर्वी पासा पर चल रहे खाला का अकंन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नही है। वादी का रकबा पत्थर न. 2/23 के किला न. 5/1 का 0.025 हैक. खाला के चिपता पश्चिमी पासा पर है। इस रकबा में प्रतिवादीगण बार – बार अवरोध पैदा करते है इसलिये वादी ने यह दावा पेश करके पत्थर न. 2/23 के किला न. 5/1 के 0.025 हैक. रकबा जो खाला से चिपता पश्चिमी पासा पर स्थित है जिसको वादी रास्ता के रूप में उपयोग कर रहा है उसमें वादी आने जाने के लिये प्रतिवादी विरोध या रूकावट ना पैदा करे इसलिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा इस दावा में वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व चाही है। प्रतिवादी न. 1/2 ने इकबाल दावा मय प्रतिदावा व उभयपक्ष ने राजीनामा पेश करके अब यह निवेदन किया है कि पत्थर न. 2/23 के किला न. 5–6–15 प्रतिवादी न. 1/2 के नाम के खातेदारी रकबा में से 2 बिस्वा चौड़ाई में खाला चल रहा है। यह खाला का रकबा प्रतिवादी न. 2/1 के रकबा में से ही चलता है व उसी के खाता में दर्ज होगा तथा वादी का रकबा पत्थर न. 2/23 के किला न. 5/1 में 2 बिस्वा चौड़ाई की बजाय राजीनामा के अनुसार केवल 15 फुट चौड़ाई में खाला के पास – पास रहेगा जो 0.023 हैक. रकबा होगा, वादी के नाम के इस किला का शेष 0.002 हैक. रकबा प्रतिवादी 1/2 के नाम खातेदारी दर्ज हो जावे तथा रकबा के बदले इसी पत्थर न. 2/23 के किला न. 6 में से चल रहे खाला के पश्चिम में पूर्वी उतरी कोना पर 15 गुणा 16 फुट लम्बाई चौड़ाई कॉर्नर का 0.002 हैक. रकबा प्रतिवादी न. 1/2 का रकबा, वादी के नाम खातेदारी दर्ज हो जावे। इस प्रकार के परिवर्तन से वादी एंव प्रतिवादी सहमत है व इसी अनुसार राजीनामा पेश करके उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा दावा स्वीकार कर डिक्री जारी करने का निवेदन किया है।	

उभयपक्ष ने इस वाद पत्र में मुताबिक राजीनामा निर्णय व डिक्री चाहा है। चुकिः दोनो पक्षकारो का चक 2 एलएम के पत्थर न. 2/23 के किला न. 5 व 6 में से 0.002 हैक. रकबा के आदान– प्रदान होने से आपसी विवाद का निपटारा होता है तथा दोनो पक्षकारो का रकबा समान किस्म व समान श्रेणी का है तथा उभयपक्ष आपस में राजीनाम से निर्णय चाहते है इसलिये मुताबिक राजीनामा वादी का दावा प्रतिवादी न. 1/2 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाद वादी एंव प्रतिवादी न. 1/2 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी न. 1/2 के नाम के चक 2 एलएम के पत्थर न. 2/23 के किला न. 5/1, 6, 15, 16 प्रत्येक किला के 0.025 हैक. रकबा खाला के नाम दर्ज किया जाने का व खाला से पश्चिमी पासा पर चिपता किला न. 6 के पूर्वी उतरी कोना पर 15 गुणा 16 वर्गफुट का 0.002 हैक. रकबा प्रतिवादी न. 1/2 के नाम से कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का व वादी के नाम के इसी पत्थर न. 2/23 के किला न. 5/1 में से 0.002 हैक. रकबा वादी के नाम से कलमजन कर प्रतिवादी न. 1/2 के नाम से खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी को पाबन्ध किया जाता है कि वो वादी के नाम से पत्थर न. 2/23 के किला न. 5/1 के 0.023 हैक. व किला न. 6 के 0.002 हैक. रकबा जो पत्थर न. 2/23 के किला न. 5 व 6 के पूर्वी पासा पर चल रहे खाला से पश्चिम में चिपता वादी के 15 फुट चौड़ाई के उक्त खातेदारी रकबा में तथा वादी प्रतिवादी के खातेदारी रकबा में किसी तरह की दखल नही करेगा। वादी किला न. 6 के खाला के रकबा पर पुली सिचाई विभाग की स्वीकृति पर बनाने के लिये स्वतंत्र है। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दफतर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: **परचा डिक्री** ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: **अनवान** ::–

ओमप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–वादी

बनाम

1 सहीराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर फौत जरिये वारिस :–

1/1 धन्नी पत्नी स्व. श्री सहीराम जाति जाट साकिन सुरजनसर।

1/2 बद्रीप्रसाद पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील सूरतगढ़।

1/3 बनवारीलाल पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील सूरतगढ़।

2 बनवारीलाल पुत्र स्व. श्री सहीराम जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील सूरतगढ़।

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ.

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्तगत धारा 188, 209, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नं. 197 वर्ष 2018 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा व प्रतिवादी नं. 1 व 2 अधिवक्ता श्री अजय अरोड़ा व श्री पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी एंव प्रतिवादी न. 1/2 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी न. 1/2 के नाम के चक 2 एलएम के पत्थर न. 2/23 के किला न. 5/1, 6, 15, 16 प्रत्येक किला के 0.025 हैक. रकबा खाला के नाम दर्ज किया जाने का व खाला से पश्चिमी पासा पर चिपता किला न. 6 के पूर्वी उतरी कोना पर 15 गुणा 16 वर्गफुट का 0.002 हैक. रकबा प्रतिवादी न. 1/2 के नाम से कलमजन कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का व वादी के नाम के इसी पत्थर न. 2/23 के किला न. 5/1 में से 0.002 हैक. रकबा वादी के नाम से कलमजन कर प्रतिवादी न. 1/2 के नाम से खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादी को पाबन्ध किया जाता है कि वो वादी के नाम से पत्थर न. 2/23 के किला न. 5/1 के 0.023 हैक. व किला न. 6 के 0.002 हैक. रकबा जो पत्थर न. 2/23 के किला न. 5 व 6 के पूर्वी पासा पर चल रहे खाला से पश्चिम में चिपता वादी के 15 फुट चौड़ाई के उक्त खातेदारी रकबा में तथा वादी प्रतिवादी के खातेदारी रकबा में किसी तरह की दखल नही करेगा। वादी किला न. 6 के खाला के रकबा पर पुली सिचाई विभाग की स्वीकृति पर बनाने के लिये स्वतंत्र है।

नोज.,.... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बषरह .... फस्दों की पालना .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03/01/2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.16 13:46:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: